



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 2,20,000 /- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 327/2013 धारा- 147,148,323/149,302/149 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.राजकुमार पुत्र शिवनन्दन 2.राजेश पुत्र शिवनन्दन 3.नरेश पुत्र शिवनन्दन 4.रामबहादुर पुत्र गरीबा 5.अनिल पुत्र रामबहादुर समस्त निवासीगण ग्राम सिसोलर थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹2,20,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक-
निरी० एच.डी. सिंह



पैरोकार- थाना सिसोलर
हे०का० राघवेन्द्र सिंह